न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
209 / 2011	16.08.2011	17.05.2023

/ / उनवान / /

1 नारायणीदेवी पुत्री सुरजी बेवा जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 (फौत)

1 / 1 महेन्द्र पुत्र नारायणीदेवी पत्नि जलेसिंह जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादीगण

बनाम

1 मामनसिंह पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 मुकेश पुत्री बोदन सिंह जाति जाट पत्नि मनोज निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल निवासी बोहका तह0 व जिला रेवाडी, हरि0।

3 ओमकौर बेवा गोकलचन्द

4 आनन्द पुत्र गोकलचन्द जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 (हजफ)

5 आदर्श पुत्र गोकलचन्द जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

6 श्रीमान उप पंजीयक महोदय मुण्डावर, अलवर।

7 श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर।

8 हसंराज पुत्र लहरीराम जाजि जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 हाल निवासी 321 / आर मॉडल टाउन, नजदीक ऊर्जा पार्क रेवाडी, हरि0।

:– असल प्रतिवादीगण

9 शेरसिंह पुत्र भूरिया जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
हु0इ0 दवामी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः– 1 श्री अशोक चौधरी प्रथम – वकील वादी
2 श्री जगन्नाथ यादव – वकील प्रतिवादी सं0 1, 3, 5
3 श्री नरेन्द्र चौधरी – वकील प्रतिवादी संव 8

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय

दिनांक– 17.05.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 1575/0.38, 204/0.51 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी जो बंदोबस्त विभाग द्वारा साबिक ख0नं0 179 रकबा 1 बीघा व ख0नं0 171 रकबा 1 बीघा से एवं 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा वाके ग्राम जाट बहरोड से सम्वत् 2029 में पैमूद किये गये है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादीया का हित निहित है तथा उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है जो जरिये विरासत मिन वादीया को प्राप्त हुई है, उक्त आराजी के अलावा दिगर आराजी के रिकॉर्ड में मिन वादीया के नाम इंतकाल विरासत दर्ज हो चुका है सजरा पेश है। मिन वादीया उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आराजी ख0नं0 204 रकबा 0.51 है0 था बंदोबस्त विभाग ने इद्राज करते समय गलती से साबिक ख0नं0 171 रकबा 1 बीघा व 179 रकबा 1 बीघा से बनाए है जिनमे मिन वादीया की कुल आराजी में से 10 बीस्वा की खातेदार काबिज काश्त आराजी है जिसके लिए मिन वादीया आराजी ख0नं0 204 में अपने आपको खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड में घोषित कराने के अधिकारी है जिस हेतु दावा पेश किया जाना लाजिम आया है। दौराने दावा प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित आराजी का बैचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.12.2015 को हंसराज पुत्र लहरीराम को किया है, उक्त बैयनामा को मिन वादीया के हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे एवं आराजी ख0नं0 1575 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा जिसके साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा से पैमूद हुआ था जिसमें से मिन वादीया के साढे सात बीस्वा आराजी हिस्से आनी चाहिए थी इस प्रकार मिन वादीया को ख0नं0 1575 में से साढ़े सात बीस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त विवादित आराजी संपूर्ण से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वे अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बैय आदि से मुन्तकिल करने की जुत्सजु में है। उक्त गलत अंकन के रहने से मिन वादीया के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तथा अपने अधिकारों से आराजी से वंचित होना पड रहा है इसलिए मिन वादीया अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। दिनांक 07.08.2011 को मिन वादीया अपने हिस्से की आराजी को संभालने हेतु गांव जाट बहरोड़ में आई तो प्रतिवादीगण ने एलानिया तौर पर धमकी दी कि तेरा उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम है, हम आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बैय करेंगे व तुझे उक्त आराजी में घुसने नहीं देंगे, जबकि मिन वादीया के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादीया के पक्ष में है, अगर प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादीया को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाना आवश्यक है आदि–आदि अंकित करते हुए प्रार्थना है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे व करार दिया जावे कि वादीया को आराजी ख0नं0 हाल 204/0.51 है0 जिसके साबिक ख0नं0 171 रकबा 1 बीघा व 179 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम जाट बहरोड में से वादीया को 10 बीस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व हाल ख0नं0 1575 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा यानी रकबा 0.38 है0 जिसके साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा में से साढे सात बीस्वा का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं दौराने दावा प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित आराजी का [illegible] रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.12.2015 को हंसराज पुत्र लहरीराम को किया है उक्त बै[illegible] को [illegible] वादीया के हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 [illegible] किया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी ख0नं0 204/0.51 व 1575/0.38 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही रिकॉर्ड की स्थिति परिवर्तन करे तथा दीगर दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान समझे बक[illegible] जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1, 3, 5 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी सं0 2

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

एवं 9 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 8 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 6, 7 की बावजूद विधिवत तलबी हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 5 द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसका सारतः रहा कि विवादित आराजी बंदोबस्त विभाग ने हाल आराजी ख0न0 204/0.51 है0 में साबिक ख0नं0 171 मिन 1 बीघा व 179 मिन 1 बीघा 1 बीस्वा शामिल किया है, जो हाल रिकॉर्ड में सुखराम पुत्र लौटा 1/2 व शेरसिंह पुत्र भूरिया 1/2 सही दर्ज किया है व हाल ख0नं0 1575 में भी हम प्रतिवादीगण का नाम मौके व कब्जे अनुसार भूप्रबंध विभाग ने सही दर्ज किया है। विवादित आराजी से वादीया का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी में वादीया का हिस्सा व कब्जा नहीं है, सजरा वादीया ने गलत दर्ज किया है। वादीया का नाम साबिक ख0न0 179 रकबा 2 बीघा में 1/4 भाग यानी 10 बीस्वा था इसलिए हाल ख0न0 203 में साबिक ख0न0 171 मिन का 1 बीघा व 179 को मिन 1 बीस्वा मिलाकर वादीया के नाम 1/4 भाग दर्ज कर दिया। चूंकि साबिक ख0नं0 171 का शेष रकबा 1 बीघा जो हाल ख0नं0 204 में मिलाया गया है वह शेरसिंह का था तथा साबिक ख0नं0 179 का 1 बीघा हम प्रतिवादीगण का था जिस से वादीया का कोई संबंध व सरौकार नहीं है। वादीया शुद्धहस्त होकर अदालत में नहीं आई है। साबिक ख0नं0 179 का 1 बीघा 1 बीस्वा हाल ख0नं0 203 में मिलाकर 10 बीस्वा वादीया के नाम कर दिया। उसका हवाला व स्पष्टीकरण वादपत्र में भी नहीं किया गया है। वादीया साबिक ख0नं0 844 पर कभी–भी काबिज काश्त नहीं रही ना ही उक्त साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा से कोई सबंध व सरौकार नहीं है। राज काश्त अधि0 1955 के लागू होने के दिन व उसके पूर्व से साबिक आराजी ख0नं0 844 के 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 5 के पिता/दादा काबिज काश्त थे जो लगातार जीवन रहने तक काबिज रहे व उनकी मृत्यु पश्चात् उसके वारीसान प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। आज भी मौके पर प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 5 का 1/2 भाग पर कब्जाकाश्त है आदि–आदि का अंकन करते हुए उक्त जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीया सं0 2 मुकेश ने अपना हिस्सा हंसराज पुत्र लहरी को बेचान कर दिया जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार है जिस वादीया ने पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है का अंकन रहा। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 8 ने वादीया के वादपत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसका सारतः रहा कि जिम्मन में वर्णित आराजी ख0नं0 1575/0.38, 204/0.51 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर में स्थित होकर किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है उक्त आराजी से वादीया गैर वास्ता व गैर काबिज रही है तथा वादीया के नाम का अंकन कभी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रहा है, ना ही कभी वादीया आराजी पर काबिज काश्त रही है तथा ना ही आराजी वादीया को जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा ना ही वादीया के हक–हकूक निहित है वादीया ने दावा मिथ्या तथ्यों पर आराजी को हड़पने की नियत से पेश किया है। वादीया द्वारा जिम्मन नं0 2 में साबिक ख0नं0 179 रकबा 2 बीघा व साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा से हाल ख0नं0 1575 व 204 पैमूद होना दर्ज किया है तथा उक्त जिम्मन में वादीया द्वारा ख0नं0 204 साबिक ख0नं0 171 रकबा 1 बीघा व 179 [illegible] अपना 10 बीस्वा होना जाहिर किया है इसलिए वादीया किसी भी प्रकार से हाल [illegible] से 10 बीस्वा की खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने की अधिकारी [illegible] 5 अ जिस प्रकार बयान किया है नितात गलत है स्वीकार [illegible] द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व मौके पर काबिज काश्तकार प्रतिवादी सं0 2 से उक्त वाद [illegible] वर्णित व अन्य आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के बएवज प्रतिफल मैय कब्जा नियमानुसार [illegible] खरीद की है तथा वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त हूं तथा मिन प्रतिवादी के नाम बैयनामा के आधार पर इंतकाल सं0 1739 दिनांक 03.01.2016 को दर्ज व मजूर हो चुका है तथा मिन प्रतिवादी सदभावी क्रेता है जो काबिज रिकार्डेड खातेदार से आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनमा के खरीद की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

खण्डाधिकारी
(अलवर) राज0

इसलिए वादीया किसी प्रकार से वर्णित बैयनामे को बातिल व बेअसर करार दिलाने की अधिकारी नही है। वाद वादीया काबिल खारीज है एवं आराजी ख0नं0 1575 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा में वादीया का कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही कभी काबिज काश्त रही है तथा मिन प्रतिवादी स0 8 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 से उक्त आराजी मे उसका हिस्सा व अन्य आराजीयात में उसका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनमा उक्तानुसार बेएवज प्रतिफल मय कब्जा खरीद की है तथा वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त है तथा बैयनमा के आधार पर ग्राम पचायत द्वारा नियमानुसार जांच कर इंतकाल सं0 1739 दिनांक 03.01.2016 को दर्ज व मंजूर किया गया है इसलिए वादीया किसी भी प्रकार उक्त ख0नं0 1575 में से साढे सात बीस्वा की खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी नहीं है वाद काबिल खारीज है आदि आदि अंकित करते हुए वादीया का वाद मय हर्जा-खर्चा खारीज फरमाये जाने का निवेदन रहा एव प्रतिवादी स0 2 व 8 हाल प्रतिवादी स0 2 व 9 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वादपत्र के बाबत अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। इकबाल जवाब के मुताबिक वादपत्र के जिम्मनों को स्वीकार करते हुए वादीया का वाद मुताबिक प्रार्थना पत्र डिक्री कर दिया जावे अंकित करते हुएपेश किया गया है जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किए गए-

1 आया आराजी ख0नं0 1575/0.38, 204/0.51 है0 वाके ग्राम जाट बहराड तह0 मुण्डावर में स्थित है जो आराजी पैत्रिक है, वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। दीगर आराजी में वारीसान के नाम इंतकाल दर्ज है। **– जिम्मे वादीया**

2 आया आराजी ख0नं0 204 के साबिक ख0नं0 171 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 179 रकबा 1 बीघा में वादीया रकबा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त आराजी है तथा ख0नं0 1575 रकबा 0.38 है0 का साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा में साढ़े सात विस्वा पर वादीया काबिज काश्त आराजी है, वादीया अपने आपको ख0नं0 204 रकबा 0.51 है0 में से 10 विस्वा व ख0नं0 1575 रकबा 0.38 है0 में से साढ़े सात बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने व प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है। **– जिम्मे वादीया**

3 आया प्रतिवादी सं0 8 ने प्रतिवादी सं0 2 से वाद में वर्णित आराजी व अन्य आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है, जिसके आधार पर इंतकाल सं0 1739 दिनांक 03.01.2016 दर्ज व मंजूर हो चुका है। वादीया दिनांक 03.12.2015 को हुए बैयनामे को बातिल व बेअसर करार दिलाने की अधिकारी है। **–जिम्मे वादीया**

4 आया जवाब दावा के जिम्मन नं0 2 के अनुसार आराजी बंदोबस्त विभाग ने सही दर्ज की है। **–जिम्मे प्रतिवादी**

5 आया जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त आराजी है जिस आराजी से वादीया का कोई संबंध व सरौकार नहीं है। **–जिम्मे प्रतिवादी**

6 आया वादीया ने मिथ्या तथ्य व मनगढंत कहानी के आधार पर दावा पेश किया, जिसके आधार पर वादीया अपने आपको खातेदार घोषित कराने की व प्रतिवादीगण को पाबंद कराने की अधिकारी नहीं है। **–जिम्मे प्रतिवादी**

7 अन्य अनुतोष।

वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप [illegible] जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 प्रदर्श-1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी सै[illegible]ट प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी सम्वत् 20[illegible] प्रदर्श-5, नकल [illegible] सम्वत् 2069-2072 प्रदर्श-6, नकल बैयनामा दिनांक 03.12.2015 प्रदर्श-7, नकल [illegible] मिलान सम्वत् 2024 प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 प्रदर्श-9, नकल जमाबंदी सम्वत् 20[illegible] प्रदर्श-10, नकल जमाबंदी 1721 प्रदर्श-11, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014-2014 किता-3 प्रदर्श-12, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018-2021 किता-3 प्रदर्श-13, नकल जमाबंदी सम्वत् 2009 किता-2 प्रदर्श-14, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013 किता-2 प्रदर्श-15, नकल जमाबंदी सम्वत् 2006-2009

उपखण्डाधिकारी
[illegible] (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श–16 पेश किए जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र महेन्द्र पीडब्ल्यू–1, शेरसिंह पीडब्ल्यू–2, सुरेश पुत्र रामलाल पीडब्ल्यू–3, कुलदीप पीडब्ल्यू–4 पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपनी जवाबदावे के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 किता–2 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत् 2017 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 किता–2 प्रदर्श–4 पेश किए जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मामनसिंह डीडब्ल्यू–1, हंसराज डीडब्ल्यू–2, जमरूदीन डीडब्ल्यू–3, प्रवीण कुमार डीडब्ल्यू–4 पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकरान की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी सं0 8 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसकी नकले दिलाई गई एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 5 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वादपत्र को दौहराते हुए प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात पैत्रिक आराजी होकर जरिये विरासत वादीया को प्राप्त हुई है, उक्त आराजी के अलावा दीगर रिकॉर्ड में वादीया के नाम इंतकाल विरासत दर्ज हो चुका है व वादीया विवादित आराजी सहित अपनी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है उक्त विवादित आराजी संपूर्ण से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नहीं है लेकिन उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बैय आदि से मुन्तकिल करने की जुत्सजू में है। आराजी ख0नं0 204/0.51 है0 का बंदोबस्त विभाग ने इंद्राज करते समय गलती से साबिक ख0नं0 171 रकबा 1 बीघा व 179 रकबा 1 बीघा से पैमूद करते समय वादीया के नाम व हिस्से का अंकन करने से छोड़ दिया। जिस हेतु वादीया आराजी ख0नं0 204 में अपने आपको 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड में घोषित कराने के अधिकारी है तथा दौराने दावा प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.12.2015 को प्रतिवादी सं0 8 हंसराज को किया है, उक्त बैयनामा को मिन वादीया के हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे तथा ख0नं0 1575 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जो साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से पैमूद हुआ है जिसमें से मिन वादीया को साढ़े सात बिस्वा हिस्से आराजी थी जिस पर आज दिन तक काबिज होकर काश्त करती रही है। उक्त गलत अंकन के रहने से वादीया के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तथा अपने अधिकारों की आराजी से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीया अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। इस हेतु वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2065–2068 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सैंटलमेंट प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 किता–2 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 प्रदर्श–6, नकल बैयनामा दिनांक 03.12.2015 प्रदर्श–7, नकल खसरा मिलान सम्वत् 2024 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2014 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी 1721 प्रदर्श–11, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–2017 किता–3 प्रदर्श–12, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2021 किता–3 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी सम्वत् 2009 किता–2 प्रदर्श–14, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013 किता–2 प्रदर्श–15, नकल जमाबंदी [illegible] 2009 प्रदर्श–16 पेश किए जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप श[illegible] पीडब्ल्यू–1, शेरसिंह पीडब्ल्यू–2, सुरेश पुत्र रामलाल पीडब्ल्यू–3, [illegible] पत्रावली है। अंकित कर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, प्रदर्श–5 जमाबंदी [illegible] 2021 में खसरा 179 के बाबत सूरजी, मुखराम संभाग निस्फ शेरसिंह पुत्र भूरिया निस्फ जाट साकिनदेह खातेदारान का अंकन है, प्रदर्श–11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2017 अनुसार सुखराम, सूरजी संभ[illegible] निस्फ शेरसिंह पुत्र भूरिया निस्फ साकिनदेह खातेदार का अंकन है एवं मुताबिक प्रदर्श–14 नकल जमाबंदी सम्वत् 2009 में ख0नं0 171 व 844 के बाबत सुखराम, मुस्ममात सूरजी बेवा संभाग निस्फ व भूरिया खातेदार निस्फ का अंकन है, प्रदर्श–15 नकल जमाबंदी सम्वत् 2013 में ख0नं0 844 बाबत सुखराम, मुस्ममता सूरजी संभाग निस्फ शेरसिंह निस्फ का अंकन है एवं ख0नं0 179 के बाबत सुखराम, सूरजी संभाग निस्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर), राज०

शरसिंह पि0 भूरिया निस्फ जाट साकिनदेह का अकन है व नकल जमावदी सम्वत् 2017 के ख0न0 179 बाबत भी सुखराम, सूरजी सभाग निस्फ शरसिह पुत्र भूरिया निस्फ के बावत का अकन है व मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत 2021 ख0न0 179 व अन्य खसरा नम्बरान मे भी सुखराम, सूरजी सभाग निस्फ शरसिह पुत्र भूरिया निस्फ के बावत का अकन है व मुताबिक प्रदर्श–16 नकल जमावंदी सम्वत 2006–2009 ख0नं0 171 रकबा 2 बीघा व अन्य खसरा नम्बरान सुखराम, मुस्ममात सूरजी बेवाह छाटना सभाग निस्फ भूरिया निस्फ के बावत का अकन है साथ ही मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 ल0 4 साक्ष्य वादी पेश किए जिनकी जिरह साक्ष्य वादी रिकॉर्ड की गई। दौराने जिरह गवाहन ने प्रस्तुत शपथपत्र की ताकीद की व वादीया का हिस्सा होना बताया अंकित करते हुए अकन किया कि साबिक ख0नं0 171 व 179 में वादीया का कुल 10 बिस्वा रकवा यानी 1/4 भाग रहा है तथा साबिक ख0न0 844 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में वादीया का साढे सात बिस्वा यानी 1/4 भाग की आराजी रही है लेकिन सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियान द्वारा साबिक ख0नं0 से हाल ख0न0 पैमूद करते समय वादीया के नाम के अकन को हजफ कर राज0 काश्त0 अधि0 1955 लागू होने पर महिलाएं, सैनिक व अवयस्क के हितों को रक्षित किया गया था, जमाबंदी में इनका नाम होने पर इनका कब्जा माना गया था, प्रतिवादीगण के नाम आराजी दर्ज करदी इसलिए वादीया को साबिक ख0न0 171, 179से पैमूद हाल ख0नं0 204 रकबा 0.51 हैं0 में से 10 बिस्वा यानी 1/4 भाग व गत ख0न0 844 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से पैमूद हाल ख0नं0 1575 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से साढे सात बिस्वा यानी 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी के हक व हिस्से तक प्रतिवादी का नाम हजफ किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 2 द्वारा उक्त दावा में अपना इकबाल जवाब पेश करने के बाद आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.12.2015 को प्रतिवादी सं0 8 हसराज पुत्र लहरीराम को बेचान किया, उक्त बैयनामा को वादी के हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिया जाकर वादी के वाद को डिक्री फरमाया जाकर कब्जेकाश्त खातेदार घोषित किया जाकर इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे, प्रतिवादीगण का नाम वादी के हिस्से तक हजफ कर प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जो प्रतिवादी सं0 8 के हक में बैयनामा कराया है उक्त बैयनामा को बातिल व बेअसर करार दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाया जावे का अंकन करते हुए वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन अंकित किया।

इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 8 हंसराज की ओर से वाद पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए वकील प्रतिवादी की ओर से लिखित बहस पेश होकर शामिल पत्रावली है। जिसके मुताबिक मिन प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं0 2 से उक्त वाद में वर्णित आराजी व अन्य आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के खरीद की है तथा वक्त खरीद से ही आराजी पर काबिज काश्त है। मिन प्रतिवादी के नाम वैयनामा के आधार पर इंतकाल सं0 1739 दिनांक 03.01.2016 को दर्ज व मंजूर हो चुका है तथा मिन प्रतिवादी सदभावी क्रेता है जो आराजी पर वक्त खरीद से काबिज काश्त है इसलिए वादीया किसी भी प्रकार से दिनांक 03.12.2015 को हुए बैयनामा को बातिल व बेअसर करार दिलाने के अधिकारी नहीं है तथा वादीया आराजी से गैर वास्ता है इसलिए वादीया किसी भी प्रकार से ख0नं0 1575 में से साढ़े सात विस्वा व ख0नं0 204 में से रकबा 10 बिस्वा की खातेदारी घोषित कराने की अधिकारी नहीं है ना ही सैटलमेंट विभाग द्वारा कोई ग[illegible]दी सदभावी क्रेता है तथा रिकार्डेड खातेदार से आराजी खरीद करने के कारण वा[illegible] प्रकार से बैयनामे को बातिल व वेअसर करार दिलाने व अपने [illegible] काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है लेकिन अ[illegible] डिक्री करने की सूरत में मिन प्रतिवादी सदभावी क्रेता के हक–हकूको [illegible] ख0नं0 1313 रकबा 0.38 है0 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज 1/[illegible] भाग हिस्से का बैयनामा मिन प्रतिवादी के नाम पंजीबद्ध कराया जाकर पूर्व बैयनामा का खर्चा दिलाया जावे इसलिए वादीया का वाद मय हर्जा–खर्चा खारीज किये जाने का अंकन रहा।

दण्डाधिकारी
र (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1, 3, 5 की ओर से वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीया के वादपत्र के जिम्मनों का अस्वीकार करते हुए वकील प्रतिवादी ने अभिकथन किया कि बंदोबस्त विभाग ने हम प्रतिवादीगण का नाम रिकॉर्ड व मौके व कब्जे के अनुसार सही दर्ज किया। वादीया विवादित आराजी पर कभी काबिज नहीं रही व आज तक भी मौके पर काबिज नहीं है प्रतिवादीगण ने अपनी जवावदावे के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2023 प्रदर्श 1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 किता–2 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सवत 2017 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 किता–2 प्रदर्श–4 पेश किए जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मामनसिंह डीडब्ल्यू–1, हसराज डीडब्ल्यू–2, जमरूदीन डीडब्ल्यू–3, प्रवीण कुमार डीडब्ल्यू–4 पेश किए जो शामिल पत्रावली है अभिकथन करते हुए वादीया के वाद को खारीज किये जाने का निवेदन किया।

तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी सं0 1– आया आराजी ख0नं0 1575/0.38, 204/0.51 है0 वाके ग्राम जाट बहराड तह0 मुण्डावर में स्थित है जो आराजी पैत्रिक है, वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। दीगर आराजी में वारीसान के नाम इंतकाल दर्ज है। इस तनकी को सावित करने का भार जिम्मे वादी रहा है एवं वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में प्रदर्श–11 नकल जमावंदी सम्वत् 2017 में ख0नं0 179 के बाबत सुखराम, सूरजी संभाग निस्फ शेरसिंह पुत्र भूरिया निस्फ के वावत का अंकन है व प्रदर्श–14 किता–2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2009, प्रदर्श–15 किता–2 नकल जमावंदी सम्वत् 2013 पेश किये जा शामिल पत्रावली है उक्त दस्तावेजात पर सुखराम, मुस्ममात सूरजी वेवा छोटना संभाग निस्फ भूरिया निस्फ के बाबत का अंकन है जिसके आधार पर विवादित आराजीयात वादीया की पैत्रिक आराजी होकर जरिये विरासत प्राप्त होना पाए जाने की स्थिति में उक्त तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी सं0 2– आया आराजी ख0नं0 204 के साविक ख0नं0 171 रकवा 1 वीघा, ख0नं0 179 रकबा 1 बीघा में वादीया रकबा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त आराजी है तथा ख0नं0 1575 रकवा 0.38 है0 का साबिक ख0नं0 844 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा में साढ़े सात बिस्वा पर वादीया काबिज काश्त आराजी है, वादीया अपने आपको ख0नं0 204 रकबा 0.51 है0 में से 10 बिस्वा व ख0नं0 1575 रकबा 0.38 है0 में से साढ़े सात बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने व प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है जिसको सावित करने के संबंध में वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 ल0 16 एवं अन्य दस्तावेजात पेंश्ज्ञ किए है जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख़सरा नम्बरान से विवादित हाल खसरा नम्बरान स्पष्ट रूप से सावित है तथा प्रदर्श–11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2017 में ख0नं0 179 के बावत सुखराम, सूरजी संभाग निस्फ शेरसिंह पुत्र भूरिया निस्फ के बाबत का अंकन है, प्रदर्श–14 किता–2 नकल जमावंदी सम्वत् 2009 में ख0नं0 171 व 844 तथा अन्य खसरा नम्वरान के साथ–साथ सुखराम, मुस्ममात सूरजी वेवा छोटना संभाग निस्फ, भूरिया खातेदार निस्फ के बाबत का अंकन है, प्रदर्श–15 किता–2 ... ख0नं0 171, 844, 179 व अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ सुखराम, मुस्ममात ... निस्फ शेरसिंह पि0 भूरिया निस्फ जाट साकिनदेह खातेदार का अंकन ... जाट साकिनदेह 2013 से 2017 में अंकित सुखराम, सूरजी संभाग नि... 2021 में भी उक्तानुसार ही खातेदार के बाबत का अंकन है ठीक इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत् ... दस्तावेजात के माध्यम से अंकन है इस प्रकार से वादीया ने अपने वादपत्र को प्रस्तुत सुसंगत ... उक्तानुसार साबित किया है एवं वकील उभयपक्षकारान द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली होने अनुसार भी इस तनकी को यह न्यायालय वरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहक वादीया स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं0 3– आया प्रतिवादी सं0 8 ने प्रतिवादी सं0 2 से वाद में वर्णित आराजी व अन्य आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है, जिसके आधार पर इंतकाल सं0 1739 दिनाक 03.01.2016 दर्ज व मंजूर हो चुका है। वादीया दिनांक 03.12.2015 को हुए बैयनामे को बातिल व बेअसर करार दिलाने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है और जब तनकी नं0 1 व 2 स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहक वादीया स्वीकार हो चुकी है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहक वादीया स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी सं0 4– आया जवाब दावा के जिम्मन नं0 2 के अनुसार आराजी बंदोबस्त विभाग ने सही दर्ज की है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है और जब तनकी नं0 1 ल0 3 स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाया जाकर बहक वादीया स्वीकार पाए जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीया स्वीकार योग्य पाते हुए बरखिलाफ प्रतिवादी पाता है।

तनकी सं0 5– आया जवाब दावा के अनुसार प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त आराजी है जिस आराजी से वादीया का कोई संबंध व सरौकार नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है और जब तनकी सं0 1 ल0 4 स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाया जाकर बहक वादीया स्वीकार पाए जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीया स्वीकार योग्य पाते हुए बरखिलाफ प्रतिवादी पाता है।

तनकी सं0 6– आया वादीया ने मिथ्या तथ्य व मनगढंत कहानी के आधार पर दावा पेश किया, जिसके आधार पर वादीया अपने आपको खातेदार घोषित कराने की व प्रतिवादीगण को पाबंद कराने की अधिकारी नहीं है। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है और जब तनकी सं0 1 ल0 5 स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाया जाकर बहक वादीया स्वीकार पाए जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीया स्वीकार योग्य पाते हुए बरखिलाफ प्रतिवादी पाता है।

तनकी सं0 7– अन्य अनुतोष

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी ख0नं0 1575/0.38, 204/0.51 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर जिसके वर्ष 2021 में जारी सैटलमेंट अनुसार क्रमशः ख0नं0 1960/0.01, 1961/0.01, 1962/0.36, 288/0.51 है0 पैमूद किए गए है के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल ख0नं0 288/0.51 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड में से वादीया को रकबा 10 बिस्वा यानी 0.12 है0 का एवं हाल ख0नं0 1960/0.01, 1961/0.01, 1962/0.36 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर में से वादीया को रकबा साढ़े सात बिस्वा यानी 0.10 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं दौराने दावा प्रतिवादी सं0 2 द्वारा बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.12.2015 को प्रतिवादी सं0 8 को किए गए बैयनामे [illegible] की आराजी तक बातिल व बेअसर करार दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण [illegible] मी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात के बाबत [illegible] पर कही रहन, बय, हिबा इत्यादि प्रकार से मुन्तकिल [illegible] में उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.05.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17.05.2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:42:57 IST
Reason: SelfAttested